न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—92/2020 /223(2020/00092)

1. माधू पुत्र जोधा, जाति बागरिया, निवासी बिलावटियाखेड़ा, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर। **(फौत)**
   1/1 पॉची देवी पत्नी माधू
   1/2 पोखर पुत्र माधू
   1/3 हंसराज पुत्र माधू जाति बागरिया निवासी बिलावटियाखेड़ा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. सुखलाल पुत्र रघुनाथ
2. बद्री पुत्र रघुनाथ
3. श्रीमती कमला पत्नि बद्री
4. श्रीमती सुशीला पत्नि सुखलाल
   समस्त जाति धाकड निवासी बिलावटियाखेड़ा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
5. रामस्वरूप पुत्र जोधा
6. हरजी पुत्र जोधा
   समस्त जाति धाकड निवासी बिलावटियाखेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड,जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय, दिनांक 14.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड, द्वारा अंतर्गत वाद संख्या 59/2017.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4.
3. श्री हसन खान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 6
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 23.08.2022.

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के निर्णय एवं दिनांक 14.05.2018, वाद संख्या 59/2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष अपीलांट द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वाद अंतर्गत धारा 88,53,188 व 209 बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात गत खसरा संख्या 551 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बिलावटियाखेडा तहसील सरवाड स्थित है उक्त आराजीयात वादी/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 की पुश्तैनी आरजीयात रही है। वादी/अपीलांट के पिता जोधा पुत्र कल्याण बागरिया के नाम उक्त रकबे में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई व शेष 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी के पिता के नाम नियमानुसार दर्ज रही है। तब से उक्त आराजीयात पर वादी तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात पारिवारिक बंटवारे में वादी को प्राप्त हुई है तथा उक्त आरजीयात लासाडिया बांध डूब में आ जाने से अवाप्त कर ली गई। किंतु बाद में उक्त भूमि लसाडिया बांध डूब में नहीं आने से व भराव क्षमता से बाहर रह जाने से उक्त आराजी की मुआवजा राशि पुनः जरिये चालान राज्य सरकार में जमा करवाकर रसिद प्राप्त कर ली गई है,किंतु उक्त आराजीयात का नामंतकरण आज भी सिंचाई विभाग के नाम चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 से सांठ गांठ कर वादी को मुगालते में रखते हुए विभाजन के बहाने उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर बेदखल करने पर आमादा है अतः उक्त बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान की जावे तथा वादी को खातेदार घोषित कर विभाजन की डिक्री प्रदत्त की जावे। उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 3.7.2017 को दर्ज कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 12.1.2018 को उपस्थित होने के उपरांत पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत रही है। दिनांक 11.4.2018 को पेशी 17.5.2018 की नियत की गई। किंतु इसके पूर्व दिनांक 30.4.2018 को पत्रावली नियत की जाकर दिनांक 14.5.2018 की पेशी पंचायत समिति हिगोनिया पर लोक अदालत आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व केम्प में रखे जाने के आदेश पारित किए गए है एवं उक्त पेशी पर पत्रावली को रखा जाकर राजस्व अभियान के दौरान वादी की उपस्थिति दर्शाई जाकर उपरोक्त आराजीयात रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा सिंचाई विभाग के खाते में दर्ज होने से तथा सिंचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाने के फलस्वरूप खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम दौराने बहस प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.05.2018 को राजस्व अभियान के दौरान किया गया था। उक्त दिनांक को अपीलांट/प्रार्थी की उपस्थिति दर्शाते हुए निर्णय पारित किया गया है, जबकि राजस्व अभियान की पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई, निर्णय की जानकारी दिनांक 14.02.2020 को होने पर प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त की गई। लॉक डाउन किए जाने की स्थिति में उक्त पत्रावली समयावधि 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं कि जा सकी है व इसके पश्चात लॉक डाउन खुलने पर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः दिनांक 22.3.2020 से 15.6.2020 तक की समयावधि को कण्डोन करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है, अपील में हुयी देरी के कारण युक्तियुक्त एवं सदभाविक है इसलिए विलम्ब को क्षम्य कर अपील का निस्तारण

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गुणावगुण पर नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूणीय क्षति होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात अपील दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17.5.2018 की नियत रही है, जिसे बिना अधिवक्ता को अथवा वादी/अपीलांट को नोटिस जारी कि दिनांक 30.4.2018 को नियत किया जाकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व केम्प मे राजीनामे हेतु दिनांक 14.5.2018 को नियत किया गया है एवं उक्त दिनांक 14.5.2018 को गांव में वादी/अपीलांट की उपस्थिति हेतु हस्ताक्षर दर्शाया जाकर प्रकरण को पक्षकार के अभाव में खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जो कि प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकारविहिन आदेश होने से निरस्त किए जोन योग्य है। पत्रावली में यदि राजस्व लोक आदलत के तहत राजीनामा नहीं होता है, तो न्यायालय को पुनः पेशी में कोर्ट में प्रस्तुती हेतु नियत किया जाना चाहिए। किंतु निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए वाद पत्र को उक्त आधार पर निरस्त किए जोन में त्रुटि कारित की गई है जो कि निरस्तनीय है। वादी/अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात जिसे लसाडिया बांध डूब में आने से अवाप्त किया गया था किंतु उक्त भूमि लसाडिया बांध डूब में नहीं आने से व भराव क्षमता से बाहर रहा जाने से अवाप्ति में नहीं रखी। जिसका मुआवजा राशि पुनः जरिये चालान जमा कराया गया है उक्त बाबत आक्षेपित निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंकन किया है। किंतु इसके बावजूद वाद पत्र को निरस्त कर पक्षकार के अभाव में वाद खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जो कि प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकारविहिन होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद में बिना समस्त पक्षकार की तामिली के, बिना व्यथित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.5.2018 को अपास्त फरमाया जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावे एंव प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर आवश्यक हो तो पक्षकार संयोजित कर गुणावगुण पर निस्तारित किए जाने के आदेश न्यायहित मे पारित किये जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर. आर.टी. 2018–19 (Supp.) पेज 394, 2011(2)डी.एन.जे. (राज.)पेज 905, आर.आर.टी, दिसम्बर 2005 पेज 759 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 को लोक अदालत में माधू उपस्थित था तथा उसके हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में जो कारण अंकित है वह फजी व मिथ्या है इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सभी पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत बाबत् नोटिस जारी किये गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय दिनांक 14.05.2018 को लोक अदालत में माधू उपस्थित था तथा उसके हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया था इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा3–10–00 बीघा वाके ग्राम बिलावटियाखेड़ा तहसील सरवाड़ जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के अनुसार सिंचाई विभाग के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा अपीलांट/वादी ने सिंचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया था। इसलिए मुआवजा राशि जो भूमि अवाप्त की गई बावत् सिंचाई विभाग के खाते में जमा कराया पाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिचाई विभाग को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने कारण वाद विधि सम्मत खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य समुचित अवसर नहीं दिया गया।

9. सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में देरी के संतोषजनक कारण होने तथा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण सद्भाविक होने से अपील का निस्तारण न्यायहित में गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर, अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

10. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पत्रावली पंचायत समिति हिगोनिया पर लोक अदालत आपके द्वार अभियान 2018 के तहत् राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय करते हुए पारित किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 05, 06 एवं 07 राजस्थान सरकार की प्रकरण में नोटिस तामील नही हुए तथा जमाबंदी सम्वत 2020, 2022से 2025, 2036 से 2029 में जोधा बागरिया के नाम अंकित है तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045, 2049 से 2052, 2053 से 2056, 2056 से 2060, 2068 से 2071 के अनुसार उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई है, सिंचाई विभाग को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है। किसी प्रकरण में यदि राजस्व लोक आदलत के तहत राजीनामा नहीं होता है, तो न्यायालय को पुनः पेशी में कोर्ट में प्रस्तुती हेतु नियत किया जाना चाहिए, किंतु निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए वाद–पत्र का निस्तारण बिना समस्त पक्षकारान की तामिली के, बिना व्यथित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकारविहिन होने से निरस्त किए जाने योग्य है। 2011(2)डी.एन. जे. (राज.)पेज 905 में मान्नीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि पक्षकार के संयोजन के कारण वाद खारिज नहीं किया जा सकता। लोक अदात में केवल सहमति के आधार पर मामला निर्णित किया जा सकता है तथा प्रस्तुत वाद–पत्र में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

संख्या 59/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 को अपास्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निम्न तर्को के आधार पर प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वाद संख्या 59/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद–पत्र में सिंचाई विभाग को पक्षकार संयोजित कर, जवाब दावा प्राप्त कर बाद साक्ष्य व सुनवाई का उभयपक्षकारान को समुचित अवसर देते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2022 को उपस्थिति होंवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर